रजिस्ट्री सं० डी०एल०—33004/96

REGD. NO. D.L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 1996/फाल्गुन 9, 1917
No. 49] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 1996/ PHALGUNA 9, 1917

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date
GOVT. OF INDIA

गृह मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1996

फा० सं० 14/18/92-टी०.—भारत सरकार ने भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या में सुरक्षा संबंधी खामियों की जांच करने और साथ ही यह भी पता लगाने के लिए कि क्या हत्या को टाला जा सकता था, 27-5-91 को न्यायमूर्ति श्री जे० एस० वर्मा जांच आयोग का गठन किया था।

जांच आयोग ने भारत सरकार को 15-6-92 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जिसमें उसने अन्य बातों के साथ-साथ यह रिकार्ड किया कि:—

(क) केन्द्र सरकार द्वारा किसी उपयुक्त विकल्प की व्यवस्था किए बिना श्री राजीव गांधी की निकटस्थ सुरक्षा से एस० पी० जी० कवर हटाए जाने का निर्णय, और श्री राजीव गांधी को मिल रही धमकियों में कोई कमी न होने के बावजूद उनकी सुरक्षा व्यवस्था से एस० पी० जी० कवर को हटाया जाना, जिसके फलस्वरूप उनकी सुरक्षा के स्तर में कमी आ गई थी, अनुचित था,

(ख) केन्द्रीय सरकार का 30-1-90 का निर्णय वर्णित कठिनाईयों की बजाय उपयुक्त आकलन या अपेक्षित इच्छा शक्ति की कमी से ज्यादा प्रेरित था,

(ग) केन्द्र सरकार के 30-1-90 के निर्णय के परिणामस्वरूप श्री राजीव गांधी की सुरक्षा व्यवस्था से एस० पी० जी० कवर हटाए जाने के बाद उनकी निकटस्थ सुरक्षा के लिए कोई उपयुक्त वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने में केन्द्र सरकार असफल रही जबकि यह महसूस किया गया था कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए थी।

भारत सरकार ने इन निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है और उसका यह मानना है कि श्री राजीव गांधी की निकटस्थ सुरक्षा के लिए कोई उपयुक्त विकल्प प्रदान करने में भारत सरकार विफल रही।

मंत्रिमण्डल ने केन्द्र सरकार के दिनांक 30-1-90 के निर्णय की कड़ी निन्दा करते हुए इसे रिकार्ड में रखने का संकल्प किया है।

आर० एस० सेठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RESOLUTION

New Delhi, the 27th February, 1996

F. No. 14/18/92-T.—The Government of India constituted the Justice J. S. Verma Commission of Inquiry on 27-5-91 to enquire into the security lapses in the assassination of Shri Rajiv Gandhi, former Prime Minister of India, and also whether the assassination could have been averted.

The Commission of Inquiry submitted its report on 15-6-92 to the Government of India in which it recorded, inter alia, that—

(a) the decision of the Central Government on 30-1-90 to withdraw the SPG cover to Shri Rajiv Gandhi without provision for a suitable alternative for his proximate security and the consequent withdrawal of the SPG cover reducing the level of protection to Shri Rajiv Gandhi without any reduction in the threat to him was unjustified;

(b) the Central Government's decision on 30-1-90 was prompted more by lack of proper perception or the requisite will than the stated difficulties;

(c) there was failure of the Central Government to provide to Shri Rajiv Gandhi a suitable alternative cover for his proximate security after the withdrawal of the SPG cover as a result of the Central Government's decision dated 30-1-90 in spite of a felt need for the same.

The Government of India accepted these findings and held that there was failure to provide a suitable alternative cover for the proximate security of Shri Rajiv Gandhi.

The Cabinet resolves to place on record its severe condemnation of the decision of the Central Government dated 30-1-90.

R. S. SETHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi–110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi–110054 . 1996